

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 275/2021

कपिल देव पुत्र मुख्त्यार सिंह, निवासी पांथरोली, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, मो0न0 8199991886

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील
आदेश

दिनांक 03.01.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.12.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 275/2021 पर दिनांक 15.12.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3979-80 दिनांक 15.12.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना ने पत्रांक पी0ए0/आरटीआई/2021/946 दिनांक 23.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कपिल देव पुत्र मुख्त्यार सिंह, निवासी पांथरोली, तहसील बुहाना ने 174 सी0आर0पी0सी0 मर्ग संख्या 12/2020 की एफ0आर0 एवं निर्णय की प्रति चाहने बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आर0टी0आई0 पोर्टल परिवाद संख्या 348181158707480 दिनांक 10.11.2021 को आवेदन किया गया था जिसका जबाब प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक पी0ए0/आर0टी0आई0/2021/30 दिनांक 10.12.2021 को भिजवा दिया गया था। लेकिन प्रार्थी उक्त 174 सी0आर0पी0सी0 मर्ग संख्या 12/2020 की एफ0आर0 एवं निर्णय की प्रति इस न्यायालय से प्राप्त करना चाहता है तो नियमानुसार आवेदन कर न्यायालय से प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना पत्रांक पी0ए0/आरटीआई/2021/946 दिनांक 23.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कपिल देव पुत्र मुख्त्यार सिंह, निवासी पांथरोली, तहसील बुहाना ने 174 सी0आर0पी0सी0 मर्ग संख्या 12/2020 की एफ0आर0 एवं निर्णय की प्रति चाहने बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आर0टी0आई0 पोर्टल परिवाद संख्या 348181158707480 दिनांक 10.11.2021 को आवेदन किया गया था जिसका जबाब प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्र कमांक पी0ए0/आर0टी0आई0/2021/30 दिनांक 10.12.2021 को भिजवा दिया गया था। लेकिन प्रार्थी उक्त 174 सी0आर0पी0सी0 मर्ग संख्या 12/2020 की एफ0आर0 एवं निर्णय की प्रति उनके न्यायालय से प्राप्त करना चाहता है तो नियमानुसार आवेदन कर न्यायालय से प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 03.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)

जिला कलक्टर, झुंझुनू

03/01/22